# राजस्थान सरकार

## निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :चि.प्र./एमएलसी/2017/643-57 दिनांकः 12-9-17

**—:परिपत्र:—**

माननीय उच्चतम न्यायालय मे प्रकरण **Lillu @ Rajesh & ors. Vs. State of Haryana** (2013) 14 SCC 643 में पारित निर्णय की अनुपालना में व राष्ट्रीय मावाधिकार आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राज्य में कार्यरत समस्त चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि:—

1. मेडिकोलीगल केसेज में रेप पीडिता का द्व—अंगुल परीक्षण (Two Finger Test) नही किया जावें, क्योंकि इस परीक्षण से रेप पीडिता की शारीरिक व मानसिक अखण्डता गौरव व निजता(Privacy) का उल्लघंन होता है अतः चिकित्सकों द्वारा मेडिको लीगल केसेज में रेप पीडिता का द्व—अंगुल परीक्षण (Two Finger Test) प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से बन्द किया जावें।

8.9.17

**निदेशक (जन स्वा0)**
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें**
**राजस्थान जयपुर**

क्रमांक :चि.प्र./एमएलसी/2017/643-57 दिनांकः 12-9-17

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
5. निदेशक (जन स्वा0/आसीएच/ईएसआई/एड्स) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
9. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
11. समस्त चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही वेबसाइट पर अपलोड व मेल कराया जाना सुनिश्चित करें।
13. रक्षित पत्रावली।

8.9.17

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

\important letter.docx

Hospital Admin. E-mail ID:- <addtihu@gmail.com>